

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021—वैशाख 31, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अप्रैल 2021

क्रमांक एफ 5-5/2018/1(एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12-10-2020 से 20-10-2020 तक (9 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 11-10-2020 के सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 21-10-2020 से 26-10-2020 तक के सार्वजनिक/दशहरा अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2021

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-13/2018/32.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-01-2021 द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत हथबन्द निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित करने संबंधी है, के पूर्व में “ग्राम बड़ेला एवं ग्राम धोध” के स्थान पर “ग्राम उड़ेला एवं ग्राम धोध” पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 मार्च 2021

क्रमांक एफ 4-43/2015/30/संस्कृति.—एतद्वारा राज्य शासन विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-43/2015/30/संस्कृति, नया रायपुर दिनांक 08-02-2016 द्वारा गठित गिरौधपुरी मेला विकास समिति को निम्नानुसार आंशिक संशोधन के साथ पुर्नगठन करता है :—

स.क्र. (1)	पद का नाम (2)	पदाधिकारी का नाम (3)	पता (4)
1.	अध्यक्ष	जगतगुरु गुरुगद्दीनशीन श्री विजय कुमार गुरु	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
2.	सदस्य	गुरु रूद्र कुमार उर्फ श्री अजय कुमार गुरु	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
3.	सदस्य	राजराजेश्वरी कौशल माता	अवन्ति चौक, रायपुर, जिला-रायपुर
4.	सदस्य	डॉ. शिवकुमार डहरिया	विधायक, आरंग
5.	सदस्य	श्री चन्द्रदेव राय	विधायक, बिलाईगढ़
6.	सदस्य	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े	विधायक, सारंगढ़
7.	सदस्य	श्री गुरुदयाल बंजारे	विधायक, नवागढ़
8.	सदस्य	श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल	विधायक, डोंगरगढ़
9.	सदस्य	राजमहंत श्री शिव प्रसाद मगरदाह	कबीरधाम (कवर्धा)
10.	सदस्य	राजमहंत श्री दिवानचंद सोनवानी	ग्राम पोस्ट सेन्दरी, जिला-बिलासपुर
11.	सदस्य	राजमहंत श्री भुरवाराम अनंत	ग्राम बिना, तखतपुर, जिला-बिलासपुर
12.	सदस्य	राजमहंत श्री पीलादास जाटवार	ग्राम पोस्ट हथनी, जिला-बिलासपुर
13.	सदस्य	महंत श्री दिलीप	जिला-कवर्धा
14.	सदस्य	महंत श्री कल्याण दास	ग्राम पोस्ट, पथरिया, जिला-बिलासपुर
15.	सदस्य	राजमहंत श्री महेश दास रात्रे	गंडई, राजनांदगांव
16.	सदस्य	सुश्री गौरी	पथलगांव, रायगढ़
17.	सदस्य	राजमहंत श्री बट्टी जांगड़े	जिला-कबीरधाम
18.	सदस्य	श्रीमती कमला मनहर	बिलासपुर
19.	सदस्य	श्रीमती दुर्गा बघेल	मुंगेली
20.	सदस्य	श्री चुरावन मंगेशकर	मुंगेली
21.	सदस्य	श्री रोशन प्रेमी	मटिया, कसडोल
22.	सदस्य	श्री मुद्रिका राय	बालपुर, बिलाईगढ़
23.	सदस्य	श्री यादराम हिरवानी	बिलाईगढ़
24.	सदस्य	श्री राजकुमार आंचल	टेकारी, मस्तूरी, बिलासपुर
25.	सदस्य	श्री राजेश्वर भार्गव	मस्तूरी, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	सदस्य	श्री दिलीप लहरिया	मस्तूरी
27.	सदस्य	श्री रंजीत कोसरिया	पिथौरा
28.	सदस्य	श्री पप्पू बघेल	पामगढ़, जांजगीर-चांपा
29.	सदस्य	श्री सुंदर लाल जोगी	रायपुर
30.	सदस्य	श्री अलक राम चतुर्वेदानी	भोरिंग, महासमुन्द
31.	सदस्य	श्री धनेश पाटिला	राजनांदगांव
32.	सदस्य	श्री एम. डी. मानिलकर	दुर्ग
33.	सदस्य	श्री सुनील भतपहरी	जुनवानी, पलारी
34.	सदस्य	श्री घनश्याम मनहर	सारंगढ़
35.	सदस्य	श्रीमती पुष्पा पाटले	जांजगीर
36.	सदस्य	श्री दीनाराम चेलक	पेंडरवानी, बालोद
37.	सदस्य	श्रीमती कांति सोनवानी	धमतरी
38.	सदस्य	श्री सहदेव बंजारे	पितईबंद, गरियाबंद
39.	सदस्य	श्री रईस खूटे	डभरा, जांजगीर
40.	सदस्य	श्री एस. के. बंजारे	कोरबा
41.	सदस्य	श्री सत्येन्द्र डहरिया	कोरबा
42.	सदस्य	श्री के. पी. खाण्डे	रायपुर
43.	सदस्य	श्री निर्मल कोसरे	दुर्ग
44.	सदस्य सचिव	कलेक्टर	बलौदाबाजार-भाटापारा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 मार्च 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1040/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	रतनपुर	खरगहनी	0.20/0.081	लारीपारा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु (पूरक)

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 6-4-2021 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम खरगहनी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लारीपारा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु
(पूरक)

(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	1
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां—उल्लेखित भूमि पर लारीपारा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु (पूरक) प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	1962.27 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1047/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	छेरकाबांधा	6.96/2.810	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 9-4-2021 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन छेरकाबांधा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	52

(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां-नहर निर्माण कार्य हेतु है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	53.98 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 25 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1770/भू-अर्जन/2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल एकड़ में हेक्टेयर में		लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	कुर्लूडीह	23.04	9.33	कुर्लूडीह जलाशय शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13-03-2021 को समय 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन, कुर्लूडीह पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुर्लूडीह जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	3 मकान, 2 कुआं, 45 वृक्ष
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	403.10 लाख (चार करोड़ तीन लाख दस हजार रुपये मात्र).
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	कुर्लूडीह जलाशय योजना शीर्ष एवं नहर निर्माण से 111 हे. खरीफ फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. कुर्लूडीह के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शाए तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 25 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1773/भू-अर्जन/2021.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है,

अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल एकड़ में हेक्टेयर में		लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	चेरा	9.53	3.860	चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-03-2021 को समय 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन, चेरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	124.00 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख रुपये मात्र)
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	चेरा व्यपवर्तन योजना से 180 हे. खरीफ और 125 हे. रबी की सिंचाई कुल 305 हे. फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. चेरा के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शाई गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 25 फरवरी 2021

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1774/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	एकड़ में	हेक्टेयर में	(5)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	चैनपुर	56.49	22.87	टाटीआथर जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 19-03-2021 को समय 11.00 बजे बालक छात्रावास चैनपुर पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	टाटीआथर जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	300 वृक्ष
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	170.93 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख तिरानबे हजार रुपये मात्र)
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	टाटीआथर जलाशय योजना से 101 हे. खरीफ रबी की सिंचाई कुल 101 हे. फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. टाटीआथर के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शाई गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जायेगा. संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

रायगढ़, दिनांक 15 मार्च 2021

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

460/2	0.011
457/2	0.008
460/3	0.013
459/6	0.041
457/1	0.076
468/2	0.059
459/1	0.008
461/2	0.102
460/5	0.014
योग	0.332

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लंकापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.332 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लंकापाली-छींच मार्ग के लालडीपा नाला पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2021

क्र. 21/चार/निरर्हित/2018-21/904.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री श्यामलाल मरकाम, जिला-बलरामपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/7/2018, दिनांक 03 मार्च, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 3 मार्च, 2021—12 फाल्गुन, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/7/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है।

और यतः, 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री श्यामलाल मरकाम जो छत्तीसगढ़ के 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने से विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री श्यामलाल मरकाम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री श्यामलाल मरकाम को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री श्यामलाल मरकाम द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री श्यामलाल मरकाम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री श्यामलाल मरकाम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफला के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 7-रामानुजगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री श्यामलाल मरकाम, ग्राम-पिपरौल, पोस्ट-सेन्दुर, थाना व तहसील-रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 3rd March, 2021—12 Phalguna, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/7/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018 As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 7-Ramanujganj Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 15th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Balrampur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Shyamlal Markam, Independent contesting candidate from 7-Ramanujganj Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Balrampur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 23rd August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to, Sh. Shyamlal Markam for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 23rd August, 2019, Sh. Shyamlal Markam, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for on-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Shyamlal Markam, on 11th September, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Balrampur vide his letter No. 838/निर्वा.स्था./2020 dated 6th October, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Balrampur vide his letter No. 838/निर्वा.स्था./2020 dated 6th October, 2020, has stated that Sh. Shyamlal Markam, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Shyamlal Markam, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Shyamlal Markam, resident of Village-Piproul, PO-Sendur, Police Station & Tahsil-Ramanujganj, District-Balrampur-Ramanujganj (C.G.) and the contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 7-Ramanujganj Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.
